आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

21.3.2023

नामान्तरण अपील वाद सं0 06/2017–18

बैजनाथ साव वगैरह प्रति कबुतरी देवी

आदेश

अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 78/2015–16 में दिनांक 05.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से अभिलेख की मांगं की गयी। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से मूल अभिलेख प्राप्त है।

प्रत्यर्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। फलतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी नगर उंटारी द्वारा नामांतरण वाद सं0 78/2015–16 में दिनांक 05.07.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया जा रहा है जो ग्राम चेचरिया के खाता सं0 29 प्लॉट सं0 547, 548 रकबा $0.02\frac{3}{4}$ एकड़ भूमि से संबंधित है।

02 वास्तविक्ता यह है कि प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की भूमि है जिसका मांग अपीलार्थी के नाम से चलता था। प्रत्यर्थी ने रामपति देवी से एक गलत दान पत्र सं0 7065 दिनांक 12.11.1996 करा ली थी जिसको रद्द करने हेतु अपीलार्थी ने टाइटिल सूट सं0 6/1997 दायर किया था उक्त टाइटिल सूट में मुशीफ गढ़वा ने उक्त दानपत्र को अमान्य करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश दिया गया। उसके बावजूद इस तथ्य को छुपाकर निरस्त हुए केवाला का अंचल में नामांतरण हेतु अंचल में आवेदन दी तथा अंचल कार्यालय को अपने मेल मेलाकर अंचल अधिकारी से निरस्त केवाला का नामांतरण करा ली जो सरासर गलत है।

आधार

(क) अंचल अधिकारी का आदेश विधि एवं न्याय संगत नहीं है जो खारिज योग्य है।

(ख) मांग अपीलार्थी के नाम चलता है लेकिन अंचल अधिकारी ने अपीलार्थी के मृत स्वर्गीय परबाबा के नाम नोटिस किया है एवं टेबुल वर्क किया गया है इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

(ग) मांग किसके नाम चलता है वह स्थान की अभिलेख में खाली छोड़ा गया है इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

(घ) व्यवहार न्यायालय गढ़वा के मुशंफ न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद सं0 6/1997 से निरस्त केवाला का नामांतरण किया गया

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

है जो गलत है इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है। (ङ) बिना मांग धारी को नोटिस किये नामांतरण किया गया है इस आधार पर भी अंचल अधिकारी का आदेश खारिज योग्य है।

अतः अपीलार्थी के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नमर उटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 78/2015–16 में पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 लगान रसीद का छायाप्रति ..... 01 फर्द
02 T. S. सं0 6/1997 का छायाप्रति ..... 09 फर्द
03 केवाला सं0 3082 का छायाप्रति ..... 05 फर्द
04 केवाला सं0 3083 का छायाप्रति ..... 05 फर्द
05 पंचनामा दिनांक 17.01.1987 का छायाप्रति ..... 01 फर्द

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपील जिस तरह से तैयार की गई है वह पोषणीय नही है एवं अपील आवेदन पत्र तत्काल खारिज योग्य है।

02 यह वाद पूर्णतः काल बाधित है।

03 नामांतरण वाद सं0 78/2015–16 में दिनांक 05.07.2015 ई0 को आदेश पारित हुआ है एवं अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 01.07.2017 ई0 को दाखिल की है एवं विलम्ब से अपील दाखिल का कोई समुचित कारण का हवाला अपने आवेदन पत्र में नहीं दिया है अतः यह वाद काल बाधित के चलते भी खारिज योग्य है।

04 अपील ज्ञापन के पैरा नं0 1 में वर्णित तथ्य भ्रामक है एवं सच्चाई के विपरीत है। विपक्षी/प्रत्यर्थी के स्वत्व वाद सं0 2/1997 में पारित आदेश की कोई जानकारी नही है। प्रत्यर्थी ने किसी भी तथ्य को छुपाकर नामांतरण वाद की कार्यवाई को प्रारम्भ नही कराया है बल्कि वैधानिक व तथ्यात्मक निबंधित दस्तावेज के आधार पर नामांतरण की कार्यवाई को प्रारम्भ कराया है। अपीलार्थी ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत विलम्ब को माफ करने हेतु जो आवेदन पत्र दिया है उसके धारा 5 के तहत जो तथ्य मौजुद होने चाहिए उसका उक्त आवेदन पत्र मे अभाव है। अपीलार्थी ने अपील को विलम्ब से दाखिल करने का समुचित एवं संतुष्ट होने लायक कोई तथ्य नही प्रस्तुत किया है।

05 अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध वर्ष 1997 मे एक परिवाद पत्र सं0 28/1997 विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, गढ़वा के न्यायालय में दाखिल किया था जिसमे निबंधित दस्तावेज संख्या 547/548 का हवाला दिया था एवं प्रत्यर्थी के विरूद्ध धारा 465, 420 एवं 120 बी0 भा0 द0 वि0

लगातार

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के विरूद्ध न्यायालय में विचारण (Trail) हुआ था जिसमें प्रत्यार्थी को दोष मुक्त पाते हुए बरी कर दिया गया है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय में प्रश्नगत केवाला व उसमें अंकित भूमि के संबंध में कोई वाद लम्बित है या थी उसकी जानकारी प्रत्यर्थी को नही है।

06 प्रश्नगत् प्लॉट गत सर्वे में चुनी तेली की रैयती भूमि थी जिसमें प्लॉट सं0 547 रकबा 0.10 एकड़ मकान मय सहन था तथा प्लॉट सं0 548 रकबा 0.11 एकड़ घर बारी एवं टाड़ के रूप में दर्ज थी खतियानी रैयत चुनी तेली मृत है उनकी बंशावली इस प्रकार है।

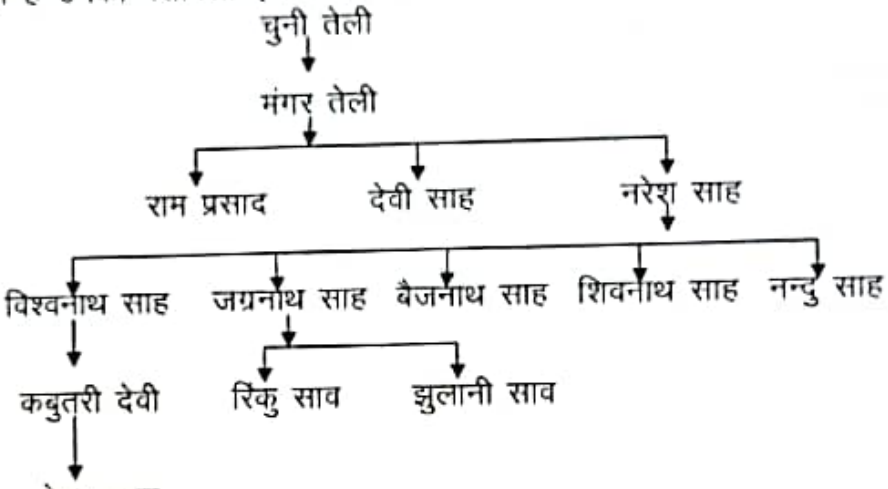

07 रामपती देवी के जीवनकाल में ही उनके पति नरेश साव ने दूसरे पत्नी अदरवा देवी को अपने साथ पत्नी के रूप से रख लिया एवं रामरती देवी को मौरूषी संपति में रकबा 0.23 एकड़ हिस्सा में देकर अलग कर उक्त रकबा 0.02 एकड़ में ही घर, मकान था जो रामपती देवी का नरेश साव ने दिया। वर्ष 1986 ई0 को श्री मति रामपती देवी पति नरेश साव ने अपनी भूमि का अपनी पतोहु श्री मति कबुतरी देवी पति विश्वनाथ साह साकिन चेचरिया थाना व अंचल नगर उंटारी के पक्ष में बजरिये दान पत्र संख्या 3785 दिनांक 12.11.1996 ई0 को दान में दे दिया उक्त तिथि से श्रीमति कबुतरी देवी प्रश्नगत प्लॉट व उस पर अवस्थित मकान पर पूर्ण रूपेण दखल काविज हुए। राज्य सरकार के सिरिस्ते में उक्त भूमि की जमाबंदी श्री मति कबुतरी देवी के नाम से कायम हुई एवं कबुतरी देवी प्रत्येक वर्ष उक्त भूमि का लगान भुगतानकर सरकारी मालगुजारी रसीद कटाते आ रही है।

08 विपक्षी कबुतरी देवी को प्लॉट सं0 547, 548 में जो रकबा 0.02 एकड़ भूमि व मकान दान पत्र में मिला है उसमें 17 फिट X 22फिट का एक हॉल बना हुआ है तथा शेष भूमि चहारदीवारी है जिसमें एक तरफ मिटी का दिवाल है एवं एक तरफ टाटी से घेरा है एवं तरफ द्वितीय पक्ष संख्या 2 का मकान का दिवाल है तथा एक तरफ भोला पनेरी का दिवाल है।

09 अपीलार्थी की भूमि पर प्रत्यर्थी का घर मकान अवस्थित है वर्तमान सर्वे में प्रश्नगत प्लॉट सं0 547, 548 से नया प्लॉट

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सं0 935, 936 एवं 937 बना है खतियानी रैयत देवी साह वगैरह है तीनों प्लॉट में मकान अवस्थित है जिसका विवरण खतियान में दर्ज है उभय पक्ष को होल्डीग अलग–अलग है।

10 अपीलार्थी के अपील ज्ञापन का आधार संख्या "क" से "ड" तक में वर्णित तथ्य बेबुनियाद एवं आधार हीन है।

11 अपील के आधार में जो भी तथ्य अपीलार्थी ने वर्णित किया है उसके आधार पर अपीलार्थी के वाद को कोई बल प्रदान नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी का अपील वाद खर्च सहित खारिज करते हुए प्रत्यर्थी की जमाबंदी पूर्ववतः कायम रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित है। फलतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को एकपक्षीय सुनने एवं दाखिल राजस्व दस्तावेज का गहन परिशीलन किया तथा पाया कि प्रश्नगत् भूमि के खतियानी रैयत चुनी तेली है। उभय पक्ष खतियानी रैयत चुनी तेली के बंशज है। अपीलार्थी द्वारा खाता 29 प्लॉट सं0 547, 548 में केवाला संख्या 3082 दिनांक 30.04.1987 विक्रेता नरेश साव से रकबा 3.50 डीसमील तथा केवाला सं0 3083 दिनांक 30.04.1987 विक्रेता विश्वनाथ साव से रकबा 1.75 डीसमील भूमि अलग–अलग विक्रेता से क्रय किये है जिसमें मकान सम्मिलित है। नरेश साव की पत्नी रामपती देवी के द्वारा अपनी पतोहु कबुतरी देवी पति विश्वनाथ साह को निबंधित दान पत्र केवाला सं0 7065 दिनांक 12.11.1996 से प्रश्नगत् खाता सं0 29 प्लॉट सं0 547, 548 में रकबा 2.75 डीसमील भूमि दिया गया है। अपीलार्थी के क्रय किये गए भूमि पर विश्वनाथ साव एवं अन्य के द्वारा हक स्वामित्व को विवाद को लेकर विवाद कि स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा T.S. Case No- 06/1997 नाम बैजनाथ साह वो शिवनाथ साह वो ननदेव साह तीनों पिता नरेश साह बनाम् विश्वनाथ साह पिता नरेश साह वो राजपति देवी पति नरेश साह वो कबुतरी देवी पति विश्वनाथ साह मुन्सफ व्यवहार न्यायालय गढ़वा में दाखिल किया गया। जिसमें न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के दावा को सही पाते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

अतः उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 78/2015–16 में दिनांक 05.07.2015 को पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.04.11 10:06:07 +05:30
Location: 192.168.1.46

लेखापित एवं संशोधित।

21/11/23 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

21/11/23 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, श्री बंशीधर नगर।

Scanned with CamScanner